न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 47/2019

अनवान :

1. बजरंग पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी डूंगराना तहसील भादरा हाल निवासी बीघड़ तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

- वादी

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र अमीलाल जाति खाती निवासी डूंगराना तहसील भादरा हाल निवासी बीघड़ तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
2. रोशनी देवी पुत्री प्रभुराम पत्नी कृष्ण जाति खाती निवासी हाल नेजिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. धापा देवी पुत्री प्रभुराम पत्नी श्रवण जाति खाती निवासी हाल नेजिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादी सं0 1 ता 3
निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डूंगराना के जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 239/229 के खसरा सं0 652 की 3.1110 है0, खसरा नं0 653 की 3.2120 है0, खसरा सं0 654 की 3.5920 है0 इस खाता की कुल 9.9150 है0 बारानी कृषि भूमि प्रभुराम के नाम दर्ज 7/96 हिस्सा व ग्राम डूंगराना के ही जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 223/216 के खसरा नं0 541 के 0.0380 है0, खसरा सं0 547 की 5.6280 है0 इस खाता की कुल 5.6660 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी प्रभुराम के नाम दर्ज 7/32 हिस्सा भूमि वाद भूमि है।

वाद भूमि वादी की दादालाई भूमि है। जिसमें वादी का प्रतिवादी के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया सं0 2 व 3 वादी की सगी बहने है प्रतिवादी सं0 1 की कुल तीन सन्तानें है जिनके मध्य वाद भूमि के बाबत दिनांक 20.03.2019 को मौखिक पारिवारिक समझौता हो गया जिसमें प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने वादी के पक्ष में अपना वाद भूमि में से समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया तथा तय किया कि कुल दोनों खातों की वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम के नाम दर्ज है का वादी खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 से 3 का काई हक हिस्सा नहीं है। इस प्रकार वादी ग्राम डुंगराना के जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 239/229 की 9.9150 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रभुराम के नाम दर्ज 7/96 हिस्सा का व ग्राम डूंगराना के ही खाता सं0 223/216 की 5.6660 है0 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम के नाम दर्ज 7/32 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा दोनों खातों की भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया जावे। चूंकि वादी परिवार खाती जाति से है जिसे जांगिड़ ब्राहम्ण सुथार से भी संबोधित किया जाता है। तीनों जाति सम्बोधन एक ही जाति खाती जाति से सम्बंधित है। जिन्हे इसी अनुरूप पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी बजरंग के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभुदयाल, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बाधो देवी पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई भूमि है। जिसमें वादी का प्रतिवादी के साथ जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रदर्श 3 फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग ग्राम डूंगराना सम्वत् 2019 में वाद भूमि वादी के दादा अमीलाल वल्द सोलाल के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में प्रभुराम के वारिसान में एक पुत्र बजरक व दो पुत्रियां रोशनी देवी व धापादेवी मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि दौराने दावा वादी का पिता प्रभुराम फौत हो चुका है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली किया गया है तथा दावा में वादी ने मौखिक पारिवारिक समझौता होना अंकित किया है जिसकी ताईद में प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने राजीनामा में वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किय जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम डूंगराना के जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 239/229 के खसरा सं0 652 की 3.1110 है0, खसरा नं0 653 की 3.2120 है0, खसरा सं0 654 की 3.5920 है0 इस खाता की कुल 9.9150 है0 बारानी कृषि भूमि प्रभुराम के नाम दर्ज 7/96 हिस्सा व ग्राम डूंगराना के ही जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 223/216 के खसरा नं0 541 के 0.0380 है0, खसरा सं0 547 की 5.6280 है0 इस खाता की कुल 5.6660 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी प्रभुराम के नाम दर्ज 7/32 हिस्सा भूमि वाद भूमि है में से प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रभुराम के नाम दर्ज कुल वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 47/2019

अनवान :

1. बजरंग पुत्र प्रभुराम जाति खाती निवासी डूंगराना तहसील भादरा हाल निवासी बीघड़ तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

– वादी

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र अमीलाल जाति खाती निवासी डूंगराना तहसील भादरा हाल निवासी बीघड़ तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
2. रोशनी देवी पुत्री प्रभुराम पत्नी कृष्ण जाति खाती निवासी हाल नेजिया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. धापा देवी पुत्री प्रभुराम पत्नी श्रवण जाति खाती निवासी हाल नेजिया खेडा तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम डूंगराना के जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 239/229 के खसरा सं0 652 की 3.1110 है0, खसरा नं0 653 की 3.2120 है0, खसरा सं0 654 की 3.5920 है0 इस खाता की कुल 9.9150 है0 बारानी कृषि भूमि प्रभुराम के नाम दर्ज 7/96 हिस्सा व ग्राम डूंगराना के ही जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं0 223/216 के खसरा नं0 541 के 0.0380 है0, खसरा सं0 547 की 5.6280 है0 इस खाता की कुल 5.6660 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी प्रभुराम के नाम दर्ज 7/32 हिस्सा भूमि वाद भूमि है में से प्रतिवादी सं0 1 प्रभुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी प्रभुराम के नाम दर्ज कुल वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:34:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: